सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बारां

पीठासीन अधिकारी सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 02 / 2015

बउनवान

1– हरिबल्लभ आयु 55 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
2– मदनलाल आयु 52 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
3– हरीशचन्द्र आयु 50 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
4– बाबूलाल आयु 48 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
5– घनश्याम आयु 45 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
6– मुकुटबिहारी आयु 42 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
7– मोहनी बाई आयु 40 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू
8– ममता बाई आयु 38 साल पुत्र श्री रामनाथ जाति धाकड निवासी डाबडिया तह0 अटरू

(प्रार्थीगण)

बनाम

1– नाथूलाल आयु 45 वर्ष पुत्र श्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया तह0 अटरू हाल निवासी ग्राम पो0 सीसवाली तह0 अन्ता जिला बारां
2– कजोडी बाई पुत्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया तह0 अटरू हाल निवासी ग्राम पो0 सीसवाली तह0 अन्ता जिला बारां
3– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. काश्तकारी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थितिः 1. श्री नरेन्द्र सिंह हाडा अभिभाषक (प्रार्थी)
2. श्री ओम प्रकाश मेहता अभिभाषक (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 22.07.2019

प्रार्थी द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राज. काश्तकारी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम डाबडिया की आराजी खसरा नं0 34 रकबा 2.74 हेक्टर में से 0.49 हेक्टर आराजी सेटलमेन्ट के दौरान सिवायचक दर्ज कर दी गई थी। उक्त आराजी सिवायचक दर्ज होने से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता रामनाथी बाई बेवा श्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया को दिनांक 02.12.1975 को आवंटन की गई थी। उक्त आवंटित भूमि पर आवंटी का कब्जा आज नही है। अतः अप्रार्थी को किया गया आवंटन आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 23.06.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जर्ये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रकरण में जवाब प्रस्तुत नही कर अंतिम बहस सुने जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वाके ग्राम डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां में खाता सं0 40 की खसरा नं0 8/286 की रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नं0 28 की रकबा 0.76 हेक्टर, खसरा नं0 34 की रकबा 2.74 हेक्टर, खसरा नं0 82 की रकबा 3.62 हेक्टर, खसरा नं0 95 की रकबा 1.84 हेक्टर, खसरा नं0 170 की रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नं0 172 की रकबा 0.09 हेक्टर, खसरा नं0 173 की रकबा 0.28 हेक्टर, खसरा नं0 174 की रकबा 0.40 हेक्टर, खसरा नं0 175 की रकबा 0.01 हेक्टर, खसरा नं0 176 की रकबा 0.34 हेक्टर कुल 11 किता रकबा 10.47 हेक्टर प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज थी। जिसमें से खसरा नं0 34 की रकबा 2.74 हेक्टर में से 0.49 हेक्टर आराजी सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के खातेदारी से कम करते हुये उक्त रकबा 0.49 सिवायचक दर्ज कर दिया गया तथा सिवायचक दर्ज होने के बाद उपरोक्त आराजियात खसरा नं0 34 की रकबा 0.49 हेक्टर को सिवायचक दर्ज हाने से अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता रामनाथी बाई बेवा श्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया के नाम दिनांक 02.12.1975 को आवंटन कर दिया गया तथा प्रार्थीगण ने अपनी सेटलमेन्ट के दौरान कम हुई आराजियात खसरा नं0 34 की रकबा 0.49 हेक्टर को पुनः अपने खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु प्रार्थीगण ने एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0 टी0 एक्ट एवं 136 एल0आर0 के तहत दावा माननीय उपजिला कलेक्टर महादेय, अटरू के यहॉ पेश किया हुआ है। जिसमें प्रार्थीगण के पक्ष में स्टे भी हो रहा है।

अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के नाम उक्त आराजियात का आंवटन होने के बाद आवंटन की शर्तो की पूर्ण पालना नही की गई है। उक्त आराजियात प्रार्थीगण के खातेदारी की है, जो सेटलमेन्ट विभाग द्वारा सेटलमेन्ट के दौरान कम करके सिवायचक दर्ज कर दिया था। जबकि उक्त आराजियात पर आज भी प्रार्थीगण ही काबिज काश्त है। उक्त आराजियात पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता का कभी कोई कब्जा नही रहा है। उक्त आवंटनशुदा आराजियात पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का कभी भी कब्जा नही रहा है और ना ही वर्तमान में है तथा आवंटन करते समय आवंटन की शर्तों व नियमो की पालना नहीं की गई और ना ही प्रार्थीगण को आज तक उक्त आवंटनशुदा आराजियात से बेदखल किया गया है। जिस वक्त आवंटन हुआ था, उस समय भी प्रार्थीगण उक्त आवंटनशुदा आराजियात खसरा नं0 34 की रकबा 0.34 हेक्टर भूमि पर काबिज थे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता रामनाथी के नाम से किया आवंटन दिनांक 02.12.1975 निरस्त फरमाया जावे। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर उक्त आराजियात खसरा नं0 34 की रकबा 0.49 हेक्टर वाके ग्राम डाबडिया प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाये जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि उक्त उनवानी प्रकरण दिनांक 23.06.2015 को पेश किया गया जबकि विवादित आराजी के सन्दर्भ में इन्ही पक्षकारान के मध्य नियमित वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर, अटरू में जैरकार है, जिसमें दिनांक 09.09.2014 से स्थगन आदेश हो रहा है। प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में शपथ पत्र नही है ओर न ही मियाद को कोई प्रार्थना पत्र पेश है। आवंटन भूमि के 10 वर्ष पश्चात खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो जाते है। लम्बे समय बाद आवंटन निरस्त नही किया जा सकता है। इस पर DNJ (Raj.) 1995 में पेज नं0 692 पर स्पष्ट माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डबल बैन्च में निर्णय पारित किया है कि खातेदारी के पश्चात् आवंटन आदेश निरस्त किये जाने की कार्यवाही नही चल सकती है। आवंटी के जीवनकाल में कोई कार्यवाही नही की गई है। इसलिए कार्यवाही काबिल निरस्तनीय है।

हमने बहस प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के अभिभाषक की सुनी व पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट होता है कि दिनांक 02.12.1975 को अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता रामनाथी बाई बेवा श्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया तह. अटरू जिला बारां को आवंटन शुदा भूमि ग्राम डाबडिया की आराजी खसरा न0 34 रकबा 0.49 हेक्टर भूमि मुताबित राजस्व रिकार्ड के आवंटन की गई थी। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र के साथ अपने पक्ष समर्थन में न तो शपथ पत्र/लिमिटेशन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एवं न ही तहसीलदार रिपोर्ट अन्य कोई दस्तावेज की प्रतियॉ आदि पेश नही की गई है। जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त भूमि पर मौके पर कौन कब्जे काश्त है एवं क्या पूर्व में आवंटन उपरांत विधिवत् आई.एल.आर. द्वारा आवंटित भूमि का कब्जा आवंटी को सुदुर्प किया जा चुका था ? साथ ही आवंटन आदेश की पालना में गैरखातेदारी और खातेदारी अधिकार प्राप्ति बाबत् नामांतरण राजस्व अधिकारी द्वारा तस्दीक किये जाने बाबत् कोई रिकार्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपितु सीधे फौती/विरासत के इंतकाल को चैलेंज किया गया है। वादी वाद का स्वामी होता है। वादपत्र/अपील हेतु प्रमाण/शहादत प्रस्तुत करने में प्रार्थीगण/अपीलांट विफल रहे है। इन्ही पक्षकारान के मध्य नियमित वाद न्यायालय उप जिला कलक्टर, अटरू में प्रकरण संख्या 29/2014 अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0 एक्ट के तहत जैरकार है, जिसमें दिनांक 09.09.2014 से स्थगन आदेश हो रहा है। इस न्यायालय में प्रार्थीगण द्वारा 23.06.2015 को जर्ये अभिभाषक आवंटन आदेश निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जबकि न्यायालय उप जिला कलक्टर अटरू में प्रकरण इस दिनांक से पूर्व से ही विचाराधीन चल रहा है। हम एक की कार्यवाही दो न्यायालय में चलाया जाना न्यायोचित नही समझते है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत नियम 14(4) राज. काश्तकारी प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र न्यायालय की विधिक प्रक्रिया के दुरूपयोग की श्रेणी में सम्मिलित होने के कारण एवं शहादत/ प्रमाण संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहने के कारण खारिज किया जाता है। अप्रार्थी क्रम 1 व 2 की माता रामनाथी बाई बेवा श्री भोज्या जाति कहार निवासी डाबडिया तह. अटरू जिला बारां को आवंटन आदेश दिनांक 02.12.1975 यथावत रखा जाता है। यदि प्रार्थीगण असंतुष्ट है तो वह किसी भी सक्षम अदालत से अन्यथा नियमानुसार अनुतोष प्राप्ति हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर, बारॉ